

महत्वपूर्ण/प्राथमिकतासंख्या-526/चालीस-2024-18(3)2021

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, 30प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, 30प्र0 शासन।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस कमिश्नर, लखनऊ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभागलखनऊ:: दिनांक 25 अक्टूबर, 2024

विषय: स्वतंत्र भारत के वास्तुकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में दिनांक 31 अक्टूबर के स्थान पर दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती 31 अक्टूबर को हर वर्ष पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह स्वतंत्र भारत के वास्तुकार के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को मान्यता देने और राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का दिन है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 को नरक चतुदशी तथा 31 अक्टूबर, 2024 को दीपावली का त्यौहार पड़ने के फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में दिनांक 31 अक्टूबर के स्थान पर अब दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को अत्यंत भव्यता के साथ गरिमापूर्वक आयोजित किये जायें।

3- इस हेतु प्रदेश स्तर पर मुख्यालय लखनऊ में मनाये जाने वाले कार्यक्रम में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रातः 09:00 बजे जी०पी०ओ० पार्क स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं तत्पश्चात् विधान भवन के सामने पुलिस, पी०ए०सी०, सेना एवं होमगार्ड के जवानों तथा सिविल डिफेन्स के लोगों को सम्मिलित करते हुए मार्च पास्ट का आयोजन किया जाये। मार्च पास्ट के ठीक पहले मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा विधान भवन के सामने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों एवं सचिवालय कर्मियों को राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की शपथ दिलाई जायेगी।

4- अतः अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने तथा सचिवालय

कर्मियों को इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे।

Signed by

Jitendra Kumar

Date: 25-10-2024 11:36:23

भवदीय,

जितेन्द्र कुमार

अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, मा० उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. नगर आयुक्त, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यक्रम स्थलों पर साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आजा से,

जितेन्द्र कुमार

अपर मुख्य सचिव